संख्या-14/2015/बी-2-2597/दस-2015-1-2015

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त , 2015

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर निगमों को स्वीकृत सामान्य समनुदेशन की धनराशि में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-5/2015/बी-2-1290/दस-2015-1-2015, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में नगरीय निकायों हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 6105.9750 करोड़ के सापेक्ष नगर निगमों हेतु व्यवस्थित 35% धनराशि रूपये 2137.0913 करोड़ की 10% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.10% धनराशि (संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु) को छोड़कर 89.9% धनराशि रूपये 1921.2451 करोड़ (एक हजार नौ सौ इक्कीस करोड़ चौबीस लाख इक्यावन हजार मात्र) संस्तुति संख्या-53 के अनुसार नगर निगमों को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015एफ.सी.186/दस-2015-06/2015, दिनांक 25 अगस्त, 2015 के द्वारा नगर निगमों का अंश 40% तथा आडिट अनुशासन की धनराशि 5% निर्धारित किया गया है।

3- अत: नगर निगमों को अनुमन्य 40% धनराशि रूपये 2442.3900 करोड़ की 5% आडिट अनुशासन की धनराशि तथा 0.10% प्रशिक्षण संस्थान की धनराशि को छोड़कर 94.9% धनराशि रूपये 2317.8281 करोड़ दी जानी है। चूंकि नगर निगमों को शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल, 2015 द्वारा रूपये 1921.2451 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है। अत: अब नगर निगमों को उनके अंश की बढी हुई अन्तर की धनराशि **रूपये 396.5830 करोड़ (तीन सौ छियानवे करोड़ अटठावन लाख तीस हजार मात्र)** दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष **"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-**

आयोजनेत्तर- 191-नगर निगमों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन" के नामे डाला जायेगा।

शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल, 2015 में नगर निगमों के अंश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं
विशेष सचिव।

संख्या-14 / 2015 / बी-2-2597(1) / दस-2015-1 / 2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
5- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।